न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री मुनिदेव यादव, आर. ए. एस.

अपील संख्या:– 22/2017 (225 आर. टी. एक्ट)

आर0सी0एम0एस0 संख्या :– 2017/00111

उनवान

भरतलाल उर्फ भरतू पुत्र नथुआ जाति मीणा निवासी धाधरैन तहसील बयाना जिला भरतपुर(मृतक)
1/1. किरेश पुत्र भरतलाल
1/2. रजनीश पुत्र भरतलाल
1/3. गुलबन्ती पत्नी भरतलाल
1/4. सुनीता पुत्री भरतलाल
1/5. अनीता पुत्री भरतलाल
1/6. ममता पुत्री भरतलाल
1/7. निरी पुत्री भरतलाल
1/8. सपीता पुत्री भरतलाल
} जाति मीणा निवासी धांधरैन तहसील बयाना जिला भरतपुर।

.....अपीलांट।

बनाम

1. कमलेश पत्नी बबलू
2. निरी पत्नी छुट्टन
} जाति मीाा निवासी धांधरैन तहसील बयाना जिला भरतपुर।

.....रेस्पोंडेंट।

अपील अन्तर्गत धारा 225 राज0 काश्त0 अधि0 1955 विरूद्ध आदेश न्याया0 उपखण्ड अधिकारी बयाना दिनांक 05.12.2016 उनवानी कमलेश बनाम भरतलाल मु0न0 113/2016

अभिभाषकगण :–

1. वकील अपीलांट श्री गोविन्द सिंह डागुर उपस्थित।
2. वकील रैस्पो0 श्री दुलीचन्द शर्मा उपस्थित

निर्णय

दिनांक :– 30.10.2023

1. यह अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बयाना के आदेश दिनांक 05.12.2016 के विरूद्ध पेश की गई है। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थी/रैस्पो0 ने मूल दावा के साथ एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्ध अप्रार्थी/अपीलाण्ट इस आशय

भू प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

का पेश किया कि वाद पत्र में अंकित विवादित आराजी पर प्रार्थी व अप्रार्थी बराबर–बराबर 1/8 भाग के व तरतीवी प्रतिवादी संख्या 02 व 03 1/2 भाग के व 04 व 05 1/4 भाग के खातेदार काश्तकर व काबज आराजी हैं। प्रतिवादी अप्रार्थी का विवादित आराजी से कोई संबंध सरोकार नहीं है। परन्तु वह लट्ठ के बल पर विवादित आराजीयात पर कब्जा करना चाहता हैं। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अस्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर, बाद सुनवाई अपीलाधीन आदेश से स्वीकार कर लिया। जिससे व्यथित होकर अप्रार्थी/अपीलाण्ट ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोंडेंट एंव अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। तत्पश्चात् बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपील मीमो के तथ्यों को दौहराते हुए, तर्क दिये कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश खिलाफ कानून व पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के विपरीत होने के कारण, काबिल खारिजी है। यह है कि अधिनस्थ न्यायालय ने गलत रूप से एक अपीलाण्ट के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जाकर अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया। जबकि अपीलाण्ट पूर्व पेशी पर उपस्थित हो गये थे। इसके अलावा अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश बोलता हुआ आदेश नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा के तीनों बिन्दुओ की कोई विवेचना अपीलाधीन आदेश में नहीं की गयी है। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलाण्ट ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 रैस्पो0 व अन्य के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया था। जिसमें तहसीलदार बयाना की रिपोर्ट चाही। तहसीलदार की रिपोर्ट दिनांक 17.01.2017 के अनुसार विवादित आराजी पर कब्जा अपीलाण्ट का बताया है। रैस्पो0 का विवादित आराजी पर कोई कब्जा काश्त नहीं है। अंत मे अपने तर्को के समर्थन में न्यायिक नजीर आरबीजे 1997 पेज 235, 2015 पेज 210 का उद्धरण प्रस्तुत करते हुये, अपील अपीलाण्ट स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

4. विद्वान अभिभाषक रैस्पो0 ने जवाबी बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय विधि अनुरूप है। जिसमें हस्तक्षेप योग्य कोई गुंजाईश शेष नहीं रहती है। रैस्पो0 विवादित आराजी के रिकार्डेड खातेदार काश्तकार हैं एवं उनका ही कब्जा काश्त है। अपीलाण्ट का विवादित आराजी पर कोई कब्जा काश्त नहीं है। 136 के दावे में अपीलाण्ट को खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं होगें। रैस्पो0 को अपीलाण्ट परेशान करते हैं। अंत में अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने का निवेदन किया।

5. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया। प्रस्तुत अपील में अपीलाण्ट की प्रमुखता से यह आपत्ति रही है कि उन्हें अधीनस्थ न्यायालय में सुनवाई का अवसर नहीं मिला व विवादित आराजी पर हमारा कब्जा काश्त है। हमने गौर किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली की आदेशिका के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलाण्ट अधीनस्थ न्यायालय में पेशी दिनांक 09.08.2016 को उपस्थित हो चुका था। उक्त पेशी पर उनके हस्ताक्षर भी अंकित हैं। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने पेशी दिनांक 08.09.2016 को उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जाकर, प्रकरण में बहस सुनी जाकर अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया,

भू प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विपरीत है। इसके अलावा अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश पारित करते समय प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा के तीनो महत्वपूर्ण घटक, प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का सन्तुलन, अपूर्णनीय क्षति के बिन्दुओ पर कोई विवेचना नहीं जाकर, सरसरी तौर पर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। उपरोक्त विवेचनानुसार हम अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार योग्य पाते हैं।

6. अतः आदेश है कि अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बयाना के निर्णय दिनांक 05.12.2016 अपास्त किये जाते हैं एवं प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को उपरोक्त तथ्यों की पृष्ठभूमि में पुनः उभयपक्ष को साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर देते हुये, विधिवत निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया जाता है। उभयपक्ष को भी निर्देशित किया जाता है कि वह अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 23.11.2023 को वास्ते सुनवाई उपस्थित होवें। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम की जावें, बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। अधीनस्थ न्यायालय़ का अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ वापस लौटाया जावें।

7. निर्णय आज दिनांक 30.10.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(मुनिदेव यादव)
भू प्रबन्ध अधिकारी पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर